परिवार न्यायालय गया।
भरण–पोषण वाद संख्या 125/2017

बबीता देवी.....................आवेदिका
बनाम
तलकेश्वर यादव................विपक्षी

---

दिनांक 15.05.2026

आवेदिका बबीता देवी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। वाद पुकार किया गया वाद पुकार पर आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका बबीता देवी के द्वारा विपक्षी तलकेश्वर यादव के विरूद्ध धारा 125 Cr.P.C. अंतर्गत भरण–पोषण भत्ता प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.09.2017 को दाखिल किया गया था, यह वाद दिनांक 07.11.2023 से बहस हेतु नियत है परंतु उभय पक्षो के ओर से बहस हेतु कोई भी प्रस्तुत नहीं हो रहे है। आज भी उभय पक्षो की ओर से बहस हेतु न्यायालय में कोई पक्षकार मौजूद नहीं है और न ही आवेदिका की ओर से कोई पैरवी–हाजरी हैं।

स्पष्ट है कि आवेदिका को इस वाद में कोई रूचि शेष नहीं रह गई है। न्यायालय आदेश के पश्चात भी आवेदिका द्वारा इस वाद में उचित पैरवी–हाजरी नहीं किया जा रहा है। अतः वाद बिना गुण – दोष पर विचार किए खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे ।

(लेखापित)

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,गया।
15.05.2026